



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 माघ, 1942 (श०)

संख्या- 119 राँची, शुक्रवार,

12 फरवरी, 2021 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।

अधिसूचना

01 अप्रैल, 2019

संख्या:- 01/नीति-29/2018-726-- झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 (झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) की धारा 90द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व पर्षद, विभिन्न प्रकार की मदिरा/सुषव (Spirit) के आयात, निर्यात, परिवहन एवं बाँटलिंग शुल्क से संबंधित पूर्व में निर्गत सभी अधिसूचनाओं को, जहाँ तक वे इससे असंगत हो, अधिक्रांत करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

विभिन्न प्रकार के मदिरा/सुषव (Spirit) के आयात, निर्यात, परिवहन एवं बाँटलिंग हेतु निम्न तालिका के अनुसार शुल्क (Fee) अधिरोपित किये जाते हैं:-

क्र. सं.	मदिरा का प्रकार	आयात शुल्क (Fee)	निर्यात शुल्क (Fee)	परिवहन शुल्क (Fee)
1	भारत निर्मित विदेशी मदिरा	रु0 12/बी.एल.	रु0 0.30/बी.एल.	-
2	बीयर	रु0 9/बी.एल.	रु0 0.10/बी.एल.	-
3	वाइन, शैम्पेन, Low Strength Carbonated Alcoholic Beverage(LAB) एवं ब्रीजर	रु0 1/बी.एल.	रु0 0.10/बी.एल.	-
4	एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (देशी मदिरा के निर्माण के लिए)	रु0 0.50/बी.एल.	रु0 0.50/बी.एल.	रु0 0.10/बी.एल.
5	ENA से बनी देशी/मसालेदार/Flavoured देशी शराब	रु0 0.10/बी.एल.	रु0 0.10/बी.एल.	-
6	संशोधित सुषव (एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बनाने के लिए)	रु0 6/बी.एल.	-	-
7	ई0एन0ए0/माॅल्ट स्पीट/एच0बी0एस0 (भारत निर्मित विदेशी मदिरा के निर्माण हेतु)	रु0 20/बी.एल.	रु0 1.00/बी.एल.	रु0 0.50/बी.एल.
8	डिनेचर्ड स्पीट	रु0 1/बी.एल.	रु0 0.50/बी.एल.	-

(b) भारत निर्मित विदेशी शराब, बीयर एवं कम शक्ति की मदिरा के उपर अधिरोपित किया जाने वाला बाॅटलिंग शुल्क निम्नवत रहेगा:-

क्र. सं.	मदिरा का प्रकार	बाॅटल का पैक साइज	बाॅटलिंग शुल्क (Fee)
1	भारत निर्मित विदेशी मदिरा(15% v/v से अधिक)	1000 ML व बड़े साइज	रु0 1.50/बाॅटल
2	भारत निर्मित विदेशी मदिरा(15% v/v से अधिक)	750 ML	रु0 1/बाॅटल
3	भारत निर्मित विदेशी मदिरा(15% v/v से अधिक)	375 ML	रु0 0.50/बाॅटल
4	भारत निर्मित विदेशी मदिरा(15% v/v से अधिक)	180 ML एवं उससे नीचे की माप	रु0 0.25/बाॅटल
5	बीयर एवं कम शक्ति की मदिरा (15% v/v से कम)	650 ML	रु0 1/बाॅटल
6	बीयर एवं कम शक्ति की मदिरा (15% v/v से कम)	500 ML एवं उससे नीचे की माप	रु0 0.50/बाॅटल

2. यह अधिसूचना दिनांक 01.04.2019 से प्रभावी होगी।

सदस्य, राजस्व पर्वद के आदेश से,

वीरेन्द्र कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।
